



## जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 2651227 (का) फेक्स नं० 2651313  
क्रमांक:- प्रनि/जोविनिनिलि/अनु-पीपीएम/पत्रा०सामान्य/प्रे०सं० 2353 जोधपुर,दिनांक.....०९-12-०५

### आदेश

विषय :- विशेष श्रेणी हरा चारा विशेष श्रेणी, नर्सरी श्रेणी व ग्रामीण क्षेत्र के फार्म हाऊस के कृषि कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी में परिवर्तन करने के बारे में।


\*\*\*\*

समन्वय समिति की दिनांक 28 व 29 नवम्बर 05 को आयोजित 88 वीं बैठक में विभिन्न पंचायत समितियों में विशेष श्रेणी, हरा चारा विशेष श्रेणी एवं नर्सरी श्रेणी के कृषि कनेक्शनों को साधारण श्रेणी में परिवर्तित करने में लगाने वाले विभिन्न समय में एकरूपता लाने के लिए एवं कृषि उपभोक्ताओं की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि :-

विशेष श्रेणी, हरा चारा विशेष श्रेणी, नर्सरी श्रेणी एवं ग्रामीण क्षेत्र के फार्म हाऊस (जिन्हे 24 घंटे विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है) के कृषि कनेक्शनों को जिन्हे कनेक्शन जारी किये हुए दो वर्ष से अधिक अवधि हो गई है उन्हें दिनांक 19.11.2005 से सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जाये। जिन कनेक्शनों को दिनांक 19.11.2005 तक जारी किए हुये दो वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है एवं 19.11.2005 के बाद ऐसे जारी कनेक्शनों को जब भी दो वर्ष की अवधि पूर्ण करें, सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जाये। तदनुसार परिवर्तन की दिनांक से उन पर सामान्य श्रेणी की विद्युत दर लगाना प्रारम्भ कर दिया जावे।

यह सुविधा उन्ही कृषकों को देय होगी जिनके पूर्व में कोई राशि/बिल की राशि बकाया नहीं है। समस्त सहायक अभियन्ता उन कृषकों को जिनकी कोई बकाया राशि है उन्हें नोटिस देकर राशि जमा कराने के लिए सूचित करेंगे तथा राशि जमा करवाने की दिनांक से उन्हें सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर देगे।

यह आदेश पूर्व में इस संबंध में जारी आदेशों को निरस्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

  
(एस.के.विश्वनोई)  
प्रबंध निदेशक  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है:-

- ❖ शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
  - ❖ संभागीय आयुक्त, जोधपुर/बीकानेर।
  - ❖ सलाहकार (मोनिटरींग) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
  - ❖ प्रबन्ध निदेश, जयपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर/अजमेर।
  - ❖ जिलाधीश .....
  - ❖ सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
  - ❖ निर्देशक जनसम्पर्क, राजस्थान सरकार, जयपुर।
  - ❖ वित्तीय सलाहकार एवम लेखा नियन्त्रक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
  - ❖ संभागीय मुख्य अभियन्ता (जो.जोन/बी.जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
  - ❖ उपमुख्य अभियन्ता (पदार्थ एवं प्रबन्ध) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
  - ❖ मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
  - ❖ अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संघा./पी.पी.एण्ड एम./वाणिज्य/एमएण्डपी/बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/वाडमेर/बीकानेर/जैसलमेर/चुरु/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/जालोर
  - ❖ अधीक्षण अभियन्ता (S&I) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
  - ❖ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(सतर्कता)/उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
  - ❖ वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि.एवं संघा./एम.एम./अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
  - ❖ कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (कार्मिक) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
  - ❖ अधिशासी अभियन्ता ( /पयस/विधि/सतर्कता/अंकेक्षण )जोविनिनिलि.....
  - ❖ सहायक अभियन्ता ( /पयस/विधि/सतर्कता/अंकेक्षण )जोविनिनिलि.....
- (आप के अधिनस्थ कार्यरत समस्त कनिष्ठ अभियन्ता की अतिरिक्त प्रतिलिपी संलग्न है।)
- ❖ निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राज०राज०विद्युत प्रसारण निगम लि० जयपुर को माननीय प्रबन्ध निदेशक के सूचनार्थ।